

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस

अपील संख्या: 39/2025 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2025/43

1. उमाशंकर पुत्र श्री हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण जाति माली निवासी कोयला गली, बीकानेर।
2. विजय शंकर पुत्र श्री हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण जाति माली निवासी कोयला गली, बीकानेर।

— अपीलान्ट्स



बनाम

1. भवानी शंकर पुत्र स्व. हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण जाति माली निवासी कोयला गली, बीकानेर।
2. शिवशंकर पुत्र स्व. हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण जाति माली निवासी कोयला गली, बीकानेर।
3. संतोष पुत्री स्व. हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण जाति माली निवासी कोयला गली, बीकानेर।
4. सरोज पुत्री स्व. हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण जाति माली निवासी कोयला गली, बीकानेर।
5. कान्ता पुत्री स्व. हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण जाति माली निवासी कोयला गली, बीकानेर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रावला, जिला अनूपगढ़।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री राजेन्द्र सिंह शिमला अभिभाषक अपीलांत  
श्री हरीश मदान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 2  
अनुपस्थित: श्री पारसनाथ सिद्ध अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 3 ता 5

निर्णय

दिनांक 14.05.2025

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उप तहसीलदार (भू.अ.) 365 हैड रावला के आदेश दिनांक 05.02.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि -

- 1- वादगत भूमि वाके चक 8 डी.ओ.एल.बी. के मु.नं. 55/30 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 5.592 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि श्रीमती

चम्पा पत्नी छगनलाल माली निवासी बीकानेर को सन् 1974 में आवंटित हुई थी। चम्पा पत्नी छगनलाल के देहांत के बाद उक्त वादगत भूमि उनके वारिसान के पक्ष में विरासतन दर्ज हो गई। खातेदारी जारी होने के पश्चात् वादगत भूमि के समस्त सहहिस्सेदारों ने अपीलांट के पिता हरिकिशन पुत्र छगनलाल के पक्ष में हक त्याग कर दिया, जिससे उक्त भूमि हरिकिशन के नाम दर्ज हो गई, जिसकी वसीयतकर्ता हरिकिशन ने अपीलांट के हक में वसीयत कर दी। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावला के समक्ष दिनांक 08.01.2024 को वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उप तहसीलदार 365 हैड (2 केएलडी) जिला अनूपगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2024 पारित करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2024 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की।



2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता हरिकिशन उर्फ हरिकृष्ण पुत्र छगनलाल माली की खातेदारी भूमि वाके चक 8 डी.ओ.एल.बी. के मु.नं. 55/30 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 5.592 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि श्रीमती चम्पा पत्नी छगनलाल माली निवासी बीकानेर को सन् 1974 में आवंटित हुई थी, जिसका आवंटी की मृत्यु उपरांत उसके समस्त वारिसान के हक में नामान्तरण दर्ज हो गया। अपीलांट के पिता द्वारा समस्त किश्तें जमा कराने के पश्चात् खातेदारी आवंटी श्रीमती चम्पा के वारिसान के पक्ष में दिनांक 02.02.1985 को जारी कर दी गई। खातेदारी जारी होने के पश्चात् सहहिस्सेदार पूनमचंद पुत्र छगनलाल ने जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 16.03.1999 को व श्रीमती मनोहरी, सिरि कंवर तथा सरस्वती ने दिनांक 09.07.1999 को अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग कर दिया। समस्त सहहिस्सेदारों के हक त्याग पश्चात् अपीलांट के पिता हरिकिशन उक्त कृषि भूमि के एकमात्र मालिक व काबिज काश्तकार हो गये। अपीलांट ने दिनांक 08.01.2024 को तहसीलदार रावला के समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उप तहसीलदार 365 हैड ने दर्ज कर वास्ते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाने व पटवारी हल्का से रिपोर्ट लिये जाने बावत तारीख पेशी दिनांक 05.02.2024 मुकरर की गई। अधीनस्थ न्यायालय में वार-वार चक्कर काटने के बावजूद सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का कोई आदेश/प्रारूप नहीं दिया। पटवार हल्का द्वारा दिनांक 02.02.2024 को तैयार तथा दिनांक 05.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश रिपोर्ट के आधार पर

समान्य आयुक्त  
बीकानेर

बिना प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2024 पारित कर दिया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज करने के पश्चात् सार्वजनिक सूचना जारी करना आवश्यक था। हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना व अपीलांट प्रार्थी तथा वसीयत के गवाह की साक्ष्य ली जानी अनिवार्य थी। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की गई सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति मानते हुए उसी के आधार पर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वसीयत को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है। वादगत भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि थी। स्व. हरिकिशन पुत्र छगनलाल ने अपने पुत्र शिवशंकर एवं पौत्र मयूर पुत्र शिवशंकर को अपनी समस्त सम्पत्तियों से बेदखल करने का सार्वजनिक नोटिस दिनांक 05.06.2023 को जारी किया था, इसप्रकार प्रतिपक्षी शिवशंकर उनकी सम्पत्ति में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2024 निरस्त करते हुए प्रकरण पक्षकारों को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किये जाने का आदेश फरमाया जावे।



3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के लिए तहसीलदार रावला को आवेदन किया और इसी प्रकार रेस्पोजेन्ट सं. 2 ने भी अपने पिता श्री हरिकिशन के स्वर्गवास पश्चात विरासतन इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया व रेस्पोजेन्ट सं. 2 के प्रार्थना पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 140 विरासतन दर्ज कर दिया। विवादित कृषि भूमि वर्ष 1974 में श्रीमती चंपा पत्नी छगनलाल के नाम से दर्ज थी तथा वो ही खातेदार थी। उनके स्वर्गवास के पश्चात् श्रीमती चंपा के वारिसान के नाम उक्त भूमि का इंतकाल दर्ज हो गया। श्रीमती चंपा के वारिसान द्वारा दिनांक 09.07.1999 को जो रिलीज डीड विवादित भूमि की श्री हरिकिशन के नाम से की है, वो कानूनन नहीं की जा सकती, क्योंकि राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल मात्र कृषि भूमि को काश्त करने के अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं, उस भूमि के मालिकाना हक राज्य सरकार के होते हैं, कानूनन काश्तकारी अधिकार ही ट्रांसफर किये जा सकते हैं, न कि अन्य अधिकार। इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत 2008 (2) आर.आर.टी. पेज 850 है।

संभाषीय आयुक्त  
दीक्षानेर

अपीलांट के हक में निष्पादित वसीयत को जिला न्यायाधीश बीकानेर के समक्ष चैलेंज (प्रश्नगत) कर रखा है और इस संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 16.07.2024 द्वारा वसीयत से संबंधित संपतियों पर स्थगन आदेश पारित है जो आज भी प्रभावी है। रेस्पोंडेन्ट सं. 2 ने उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष विभाजन का वाद तथा स्थगन प्रा. पत्र भी पेश कर रखा है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा दिनांक 21.03.2024 को विवादित कृषि भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान कर रखा है, उक्त आदेश आज भी प्रभावी है। जहां विवादित कृषि भूमि बाबत हकव अधिकार तथा वसीयत के सही या गलत होने एवं अन्य विवादित बिंदु का निस्तारण सिविल न्यायालय तथा राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना होता है, वहां इंतकाल की कार्यवाही जो कि फिसकल प्रोसिडींग है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हक व अधिकार के निस्तारण तक उक्त इंतकाल में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत 1992 आर.आर.डी. पेज 304 है।

उपखण्ड अधिकारी घड़साना के यहां इसी विवादित कृषि भूमि बाबत स्थगन आदेश है एवं जिस वसीयत के आधार पर वो इंतकाल दर्ज करवाना चाहते हैं उस वसीयत को सिविल न्यायालय में प्रश्नगत कर रखा है और वसीयत में दर्ज संपत्ति की बाबत सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है, उसके उपरांत भी माननीय न्यायालय को अंधेरे में रखकर तमाम तथ्यों को छिपाकर सिविल न्यायालय द्वारा एवं राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को माननीय न्यायालय में परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहा है। जहां पक्षकार तमाम तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय से न्याय की उम्मीद करता है वहां अगर पक्षकार अनुतोष लेने का अधिकार होते हुए भी, प्राप्त नहीं कर सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का न्यायिक दृष्टांत 2013 (1) सिविल कोर्ट केसेज पृष्ठ संख्या 75 (उच्चतम न्यायालय) है। अतः अपील अपलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2024 पारित करते हुए अपीलांट के वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2024 को अस्वीकार कर दिया। पटवार हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि



माननीय आयुक्त  
बीकानेर

वादगत भूमि अपीलांट के पिता वसीयतकर्ता की पैतृक भूमि है, जो उसे विरासतन प्राप्त हुई थी। इसप्रकार वादगत भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि नहीं होने के कारण उक्त भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2024 न्यायोचित होने के कारण उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2024 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5- तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को लिखवाया जाकर खुद न्यायालय में सुनाया गया।

14.5  
(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर

